

बलवाणपुरा

10/7/17

तारीख 13/9/17

22/11/17

15/1/18

9/4/18

10/6/17

2017/ 00270  
सरवरक  
(कायदा-129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेक्स फार्म नं.-8 के न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडलगढ़ जिला-भीलवाड़ा (राज.)

| किसम मुकदमा<br>1    | नम्बर मुकदमा<br>2 | तारीख दायर<br>3 | तारीख फंशला<br>4 | फैमला नम्बर<br>5 |
|---------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 212<br>RTI<br>या या | 49/17             | 14/6/17         | 19/6/18          |                  |

अनवान

श्री. अशोक के. के. (पुत्री) श्री. श्री. गोकुल के. के. (पुत्री) श्री. श्री. गोकुल के. के. (पुत्री) श्री. श्री. गोकुल के. के. (पुत्री)

निवासी: गा. (सुभाषपुरा) त. 40 निवासी: (पुष्पल) त. 3

पी. सांगत श्री. के. के.

श्री. गिरि काशी लाल श्री. के. के.  
अधिवक्ता वादी/प्राथी/अपोला:र/

हरीश चन्द्रा  
अधिवक्ता प्रति./विपक्षी/रेस्पाडेन्ट/

डि. कीदार

न. द. ग. नान

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

संख्या

पंचायत मुख्यालय, उपखण्ड कृषि मुकाम, ताण्डलगाँव

अपराध नं. 49 बनाम गौरीचंद बंका

दिनांक 21/11/2017 नं. 49 सन् 2017

| क्र.सं.   | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज  | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-----------|---|---|
| 19/6/2018 | <p>पंचायती न्याय आदेश द्वारा कृषि मुकाम ताण्डलगाँव में पंचायत मुख्यालय में उपखण्ड कृषि मुकाम के बहल धुनीगरी वकील आर्षी के बहल के दिनांक 14/6/2017 को जारी स्थगन आदेश को मूलवाद के निस्तारण तक सथावर रखा जाने हेतु निर्देशन दिया वकील आर्षी द्वारा अपने अफाव में अंडित न्याय को कोर्टवाले हेतु अपात्र प्यारीज करने हेतु निर्देशन दिया।</p> <p>अतः उपखण्ड कृषि मुकाम एवं रेकार्ड को अपात्रिक से मांसला जाफिया के फल को बनना है।</p> <p>अतः जाफिया एवं अंतर्गत धारा 212 के तहत स्वीकार किया जाकर दिनांक 14/6/2017 को जारी स्थगन आदेश को मूलवाद के निस्तारण तक सथावर रखा जाने को आदेश दिया जाता है। पंचायती कुलल अफाव लोक नम्बर से कम है।</p> |   |

उपखण्ड अधिकारी  
माण्डलगाँव